रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-73

REGISTERED NO. D-(D)-73

Central Secretariat Library
29 JAN 1975

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 28, 1974 (पौष 7, 1896)
No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 28, 1974 (PAUSA 7, 1896)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 28 फरवरी, 1973 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 28th February 1973 :—

अंक Issue	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject

—शून्य—
Nil—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां, प्रकाशन नियन्त्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र नियन्त्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं ।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these Gazettes.

381GI/74

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवत नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	1079
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1989
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधिवत नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1425
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . .	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . .	3195
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	3681
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	443
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	7633
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	939
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	45
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	585
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस .	187
पूरक संख्या 52—	
21 दिसम्बर, 1974 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट	1607
23 नवम्बर, 1974 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा कई बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बंधी आंकड़े .	1621

CONTENTS

	Page
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1079
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court-	1989
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1425
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	3195
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	3681
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	443
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	7633
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	939
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ..	45
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	585
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	187
SUPPLEMENT No. 52	
Weekly Epidemiological Reports for week ending 21st December 1974	1607
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 23rd November, 1974	1621

भाग I—खण्ड 1

(PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसम्बर 1974

सं० 112-प्रेज/74—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री ल्होखरी यासे अंगामी,
हैड कांस्टेबल सं० 73990480,
99 बटालियन,
सीमा सुरक्षा दल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

नवम्बर, 1973 में विरोधियों के एक दल ने अपनी गतिविधियां तेज कर दीं और वे विशेषकर दीमापुर-कोहिमा सड़क पर सक्रिय थे । वे सड़क से गुजरती हुई कानवाई पर प्रायः घात लगा कर आक्रमण करते थे । हैड कांस्टेबल श्री ल्होखरी यासे अंगामी को विरोधियों के छिपने के स्थान का पता लगाने का काम दिया गया था । स्थानीय भू-भाग की अच्छी जानकारी होने के कारण उन्होंने विरोधियों के छिपने के स्थान का पता लगा लिया । तदनुसार 10/11 नवम्बर, 1973 की रात को जाल बिछाया गया था । विरोधी घने झाड़-झकाड़ की आड़ में बचकर भाग गये । परन्तु सीमा सुरक्षा दल के जवानों ने विरोधियों का पीछा किया और एक मुठभेड़ हुई जिसमें ब्रिगेड का स्वकथित कमाण्डर मारा गया और एक दूसरा लैफ्टिनेन्ट गिरफ्तार किया गया । एक चीनी स्वचालित पिस्तौल, दो हथगोले तथा काफी मात्रा में गोलाबारूद और उपकरण भी बरामद किये गये ।

विरोधियों के साथ मुठभेड़ में श्री ल्होखरी यासे अंगामी ने उत्कृष्ट वीरता तथा कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 नवम्बर, 1973 से दिया जायेगा ।

सं० 113-प्रेज/74—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री मैकुनी अंगामी,
नायक सं० 73990078,
99 बटालियन,
सीमा सुरक्षा दल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

नवम्बर, 1973 में विरोधियों के एक दल ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी थीं और वे विशेषकर दीमापुर-कोहिमा सड़क पर सक्रिय थे । वे सड़क से गुजरती हुई कानवाई पर प्रायः घात लगा कर आक्रमण किया करते थे । श्री एल० वाई० अंगामी को विरोधियों के छिपने के स्थान का पता लगाने का काम दिया गया । स्थानीय भू-भाग की अच्छी जानकारी होने के कारण उन्होंने विरोधियों के छिपने के स्थान का पता लगा लिया । 10/11 नवम्बर, 1973 की रात को एक जाल बिछाया गया । सीमा सुरक्षा दल की नई बनाई गई बटालियन के नायक श्री मेकुनी अंगामी ने सीमा सुरक्षा दल की प्लाटून की एक टुकड़ी का नेतृत्व किया । दुर्गम भू-भाग की परवाह न करते हुए श्री अंगामी विरोधियों पर आक्रमण करने में समर्थ हुए । विरोधियों और सीमा सुरक्षा दल के बीच थोड़ी देर गोलाबारी हुई । परन्तु विरोधी घने झाड़-झकाड़ की की आड़ में बचकर भाग गये । परन्तु सीमा सुरक्षा दल के जवानों ने उनका पीछा किया और एक मुठभेड़ हुई जिसमें ब्रिगेड का एक स्वकथित कमाण्डर मारा गया और एक दूसरा लैफ्टिनेन्ट गिरफ्तार किया गया । एक चीनी स्वचालित पिस्तौल, दो हथगोले तथा काफी मात्रा में गोलाबारूद और उपकरण भी बरामद किये गये ।

विरोधियों के साथ मुठभेड़ में श्री मेकुनी अंगामी ने उत्कृष्ट वीरता तथा उच्चकोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 नवम्बर, 1973 से दिया जाएगा ।

सं० 114-प्रेज/74—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री ओमप्रकाश मिश्र,
पुलिस उप-निरीक्षक,
सिविल पुलिस,
जिला : बांदा,
उत्तर प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

4 मार्च, 1973 को सर्कल निरीक्षक रणवीर सिंह यादव को गांव दादरिया में डाकू सुखराज और राम अवतार के मौजूद होने के बारे में सूचना मिली । इन डाकुओं का गांव के उस चौकीदार की हत्या करने का इरादा था जिसने पहले उनके गिरोह के बारे में पुलिस को सूचना दी थी । श्री रामकुमार सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक के नेतृत्व में एक पुलिस दल डाकुओं को पकड़ने के लिए भेजा गया । पुलिस दल को दो टुकड़ियों में विभाजित किया गया, एक सर्कल निरीक्षक श्री रणवीर सिंह यादव के नेतृत्व में और दूसरी श्री रामकुमार सिंह के नेतृत्व में । इन दलों ने दो विपरीत दिशाओं से गांव में प्रवेश किया । जब डाकुओं को पुलिस दलों के पास पहुंचने का पता लगा तो उन्होंने एक मवेशी-गृह में शरण ली । अपने आप को घिरा हुआ पाकर उन्होंने गोली चला दी जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई । श्री रणवीर सिंह यादव और श्री ओमप्रकाश मिश्र ने साथ के एक मकान की दीवार के पास मोर्चा संभाला और डाकुओं से आत्म-समर्पण करने को कहा । किन्तु डाकुओं ने चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया । जब सर्वश्री रणवीरसिंह यादव और ओमप्रकाश मिश्र रेंग कर निकट पहुंचे तो जहां से वे डाकुओं पर मवेशी-गृह की दीवार के एक सुराख से गोली चला सकें । गोलीबारी में डाकू रामअवतार घायल हो गया । हताश होकर डाकू बाहर निकल आये और उन्होंने सर्वश्री मिश्र और यादव पर गोली चला दी । फिर भी, इन पुलिस कर्मचारियों ने दोनों डाकुओं को गोली से उड़ा दिया । उनसे एक हथगोले और 30 भरे कारतूसों सहित .400 बोर की विन्चैस्टर राइफल और .212 बोर की एक देशी बन्दूक बरामद हुई ।

डाकुओं के साथ हुई मुठभेड़ में श्री ओमप्रकाश मिश्र ने साहस, बहादुरी और उच्चकोटि के दृढ़-संकल्प का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 4 मार्च, 1973 से दिया जाएगा ।

सं० 115-प्रेज/74—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री रणवीर सिंह यादव,
सर्कल पुलिस निरीक्षक,
जिला : बांदा,
उत्तर प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

4 मार्च, 1973 को सर्कल निरीक्षक रणवीर सिंह यादव को गांव दादरिया में डाकू सुखराज और राम अवतार के मौजूद होने के बारे में सूचना मिली । इन डाकुओं का गांव के उस चौकीदार की हत्या करने का इरादा था जिसने पहले उनके गिरोह के बारे में पुलिस को सूचना दी थी । श्री रामकुमार सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक के नेतृत्व में एक पुलिस दल डाकुओं को पकड़ने के लिए भेजा गया । पुलिस दल को दो टुकड़ियों में विभाजित किया गया, एक सर्कल निरीक्षक श्री रणवीर सिंह यादव के नेतृत्व में और दूसरा श्री रामकुमार सिंह के नेतृत्व में । इन दलों ने दो विपरीत दिशाओं से गांव में प्रवेश किया । जब डाकुओं को पुलिस दलों के पास पहुंचने का पता लगा तो उन्होंने एक मवेशी-गृह में शरण ली । अपने आप को घिरा हुआ पाकर उन्होंने गोली चला दी जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, श्री रणवीर सिंह यादव और श्री ओमप्रकाश मिश्र ने साथ के एक मकान की दीवार के पास मोर्चा संभाला और डाकुओं को आत्म-समर्पण करने को कहा । किन्तु डाकुओं ने चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया । तब सर्वश्री रणवीर सिंह यादव और ओमप्रकाश मिश्र रेंग कर निकट पहुंचे जहां से वे डाकुओं पर मवेशी-गृह की दीवार के एक सुराख से गोली चला सकें । गोलीबारी में डाकू राम अवतार घायल हो गया । हताश होकर डाकू बाहर निकल आये और उन्होंने सर्वश्री यादव और मिश्र पर गोली चला दी । फिर भी, इन पुलिस कर्मचारियों ने दोनों डाकुओं को गोली से उड़ा दिया । उनसे एक हथगोले और 30 भरे कारतूसों सहित एक .400 बोर की विन्चैस्टर राइफल और .12 की एक देशी बन्दूक बरामद हुई ।

डाकुओं के साथ हुई मुठभेड़ में श्री रणवीर सिंह यादव ने साहस, बहादुरी और उच्चकोटि के दृढ़ संकल्प का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस नियमावली 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 4 मार्च, 1973 से दिया जाएगा ।

सं० 116-प्रेज/74—राष्ट्रपति अहमदाबाद नगर निगम अग्नि शमन सेवा गुजरात के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री मारुतीराव शंकर राव पवार,
फायरमैन,

फायर ब्रिगेड, अहमदाबाद नगर निगम,
गुजरात ।

श्री भीमजीभाई कचाराजी कोटाड,
फायरमैन,
फायर डिपार्टमेंट, अमहदाबाद नगर निगम,
गुजरात ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

1 सितम्बर, 1973 की साबरमती नदी में बाढ़ के कारण जब काफी संख्या में लोग घिर गये थे, तो फायरमैन, श्री मारुतीराव शंकरराव पवार ने अपने जीवन को भारी खतरे में डालकर एक कामचलाऊ नौका की सहायता से बहुत से लोगों की जानें बचाई । इसी प्रकार श्री भीमजीभाई कचाराजी कोटाड ने काफी लोगों की जानें, जो एक द्वीप में पानी से घिर गये थे, बचाई । उन्होंने अपने कंधे पर एक लम्बी रस्सी बांधकर द्वीप तक पहुंचने का दो बार प्रयत्न किया । परन्तु तेज बहाव के कारण करीब-करीब आधे रास्ते से वापस लौटना पड़ा। निर्भयतापूर्वक उन्होंने फिर तीसरा प्रयत्न किया और द्वीप तक पहुंचने में सफल हुए । रस्सी की सहायता से वे 18 व्यक्तियों को बचा सके ।

बचाव संक्रिया में फायरमैन श्री मारुतीराव शंकरराव पवार और श्री भीमजीभाई कचाराजी कोटाड दोनों ने साहस एवं उच्च कोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1 सितम्बर, 1973 से दिया जाएगा ।

सं० 117-प्रेज/74—राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिक को ~~उनकी असाधारण कर्तव्य परायणता तथा~~ साहसपूर्ण कार्यों के लिए "सेना मैडल"/"आर्मी मैडल" सहर्ष प्रदान करते हैं :—

4246620 सिपाही सालुका बानरा,
बिहार रेजिमेंट । (मरणोपरान्त)

बिहार रैजिमेंट की एक कम्पनी को 5 दिसम्बर, 1971 तक पूर्वी क्षेत्र में चारबंगाली नामक एक पुल पर कब्जा करने और उसकी सुरक्षा करने तथा हलुआघाट पर कब्जा करने के आदेश दिये गये थे। 4/5 दिसम्बर, 1971 की रात को चारबंगाली में इस कम्पनी की शत्रु सेना से मुठभेड़ हुई । शत्रु ने मशीनगन और मोर्टर से जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी पर कम्पनी शत्रु पर टूट पड़ी और घमासान लड़ाई के बाद उसने चारबंगाली को अपने कब्जे में ले लिया । इस मुठभेड़ में शत्रु के कई सैनिक हताहत हुए ।

चारबंगाली की सुरक्षा के लिए एक प्लाटून को वहां छोड़कर कम्पनी हलुआघाट पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ी । और कुमक आ जाने पर शत्रु ने चार गाड़ियों पर लगी मीडियम मशीनगनों से पुनः गोलाबारी शुरू कर दी । एक गाड़ी पर लगी मशीनगन के साथ शत्रु ने एक प्लाटून की एक संस्था में सिपाही सालुका बानरा की एक टुकड़ी पर आक्रमण किया जो कि एक छोर की रक्षा कर रही थी। शत्रु द्वारा मशीनगन और छोटे हथियारों से की जा रही गोलीबारी के बावजूद सिपाही सालुका बानरा ने जो एक हल्की मशीनगन को चला रहे थे, नजदीक से निशाना लेकर शत्रु की गाड़ी को बेकार कर दिया, इस पर गाड़ी में बैठे लोगों को गाड़ी से उतरना पड़ा । शत्रु की ओर से हो रही गोलाबारी की जरा भी परवाह किए बिना सिपाही सालुका बानरा अधिक सुविधाजनक स्थान लेने के लिए तेजी से आगे आये और शत्रु पर धावा बोल दिया । इस कार्यवाही में शत्रु की मशीनगन को गोली उन पर जा लगी और उनके शरीर से अत्यधिक खून बहने लगा । गम्भीर रूप से घायल हो जाने पर भी वे मशीनगन लिए रेंगते हुए बढ़े और मशीनगन को जमा कर शत्रु पर गोली चलाई । अन्त में जब उनका गोला बारूद समाप्त हो गया तो इन्होंने अपनी मशीनगन के कुंदे से शत्रु पर हमला कर दिया और इस प्रकार अपनी सैनिक टुकड़ी को शत्रु के पंजे में जाने से बचा लिया। सिपाही सालुका बानरा घावों के कारण 6 दिसम्बर, 1971 को वीरगति को प्राप्त हो गये ।

इस कार्यवाही में सिपाही सालुका बानरा ने अद्भुत साहस और भारतीय सेना की श्रेष्ठ परम्परा के अनुरूप असाधारण कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

खेमराज गुप्त,
राष्ट्रपति के उप-सचिव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 11 दिसम्बर 1974

सं० 7/10/74-सी०एल० 2—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उप-धारा (4) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (2) के अनुसरण में कम्पनी विधि बोर्ड एतद्द्वारा भारत सरकार कम्पनी कार्य विभाग के श्री एन० रंगनाथ स्वामी, सहायक निरीक्षण अधिकारी, बम्बई, को कथित धारा 209 के उद्देश्यों के लिए प्राधिकृत करता है।

टी० एस० श्रीनिवासन,
संयुक्त निदेशक निरीक्षण, एवं पदेन उप-सचिव

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(सिंचाई विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 दिसम्बर 1974

संकल्प

सं० 22/6/72-वि०क०(उ०)—19 दिसम्बर, 1958 के संकल्प संख्या वि०का०तीन-26(4)/58 के अंतर्गत गठित 'निदेशन समिति' का एतद्द्वारा विघटन किया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सम्बद्ध राज्य सरकारों, वित्त, गृह, कृषि और सिंचाई (कृषि विभाग) मंत्रालयों और योजना आयोग को सूचनार्थ भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए और सम्बद्ध राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाए कि इसे राज्य के राजपत्रों में आम सूचना के लिए प्रकाशित कर दिया जाए।

ओ० पी० चड्ढा,
संयुक्त सचिव

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय
(समाज कल्याण विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 दिसम्बर 1974

संकल्प

विषय:—राष्ट्रीय बाल बोर्ड का गठन।

परस्तावना

सं० एफ०-1-14/74-एन०सी०डी०—राष्ट्रीय संपदा के रूप में बालकों के सर्वोपरि महत्व को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने बच्चों के लिए राष्ट्रपति नीति पर संकल्प संख्या-1-14/74-सी०डी०डी० दिनांक 22 अगस्त, 1974 स्वीकार किया है,। इस संकल्प में इस बात पर जोर दिया गया है कि बालकों के विकास से संबंधित कार्यक्रम हमारी राष्ट्रीय योजनाओं का प्रमुख अंग है तथा सभी बालकों को अपनी अपनी बढ़ोतरी और विकास के लिए समान अवसर मिलने चाहिएं। इस प्रकार कार्यक्रम से समयानुसार ऐसे नागरिकों की पीढ़ियां उत्पन्न होंगी, जिनमें देश का निर्माण करने और उसे शक्तिशाली बनाने के मानसिक और शारीरिक गुण होंगे। उक्त संकल्प के पैरा 5 में बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार की सेवाओं की योजना, पुनर्विलोकन और समन्वय के लिए एक मंच की आवश्यकता पर बल दिया गया है और इस मंच की व्यवस्था करने के लिए एक राष्ट्रीय बाल बोर्ड का गठन करने के लिए कहा गया है।

गठन

2. इसलिए, राष्ट्रपति एक राष्ट्रीय बाल बोर्ड का गठन करते हैं, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(1)	प्रधान मंत्री	अध्यक्ष
(2)	शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री	कार्यकारी अध्यक्ष
(3)	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री।	सदस्य
(4) से (10)	बाल कल्याण सेवाओं का अनुभव रखने वाले सात सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य
(11) से (23)	राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत दस व्यक्ति तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा मनोनीत तीन व्यक्ति, जो समाज कल्याण सेवाओं से संबंध रखने वाले व्यक्तियों में से बारी-बारी चुने जाएंगे	सदस्य
(24) से (26)	लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत लोक सभा के दो सदस्य तथा राज्य सभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत राज्य सभा का एक सदस्य	सदस्य
(27)	अध्यक्ष, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	सदस्य
(28)	निदेशक, केन्द्रीय जन सहयोग शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
(29)	भारत सरकार के सचिव, समाज कल्याण विभाग	सदस्य-सचिव

कार्य

3. बोर्ड के कार्य निम्नलिखित होंगे :—

(1) साधारणतया बालकों की आवश्यकताओं के बारे में जन बोध तैयार करना और उसे बनाए रखना ;

(2) बालकों के कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में लगी विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों का समन्वय और एकीकरण करना ;

(3) विभिन्न कार्यक्रमों में की गई प्रगतियों का आवधिक पुनर्विलोकन करना ;

(4) वर्तमान सेवाओं में कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करने के लिए उपाय का सुझाव देना ; तथा

(5) विभिन्न कार्यक्रमों को दी गई प्राथमिकताओं में यदि परिवर्तन आवश्यक हो तो समय-समय पर उसका सुझाव देना।

बोर्ड के कार्य सलाहकारात्मक तथा समन्वयात्मक होंगे।

स्थाई समिति

4. बोर्ड की एक स्थायी समिति होगी, जिस के निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(1)	शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री	अध्यक्ष
(2)	अध्यक्ष, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	
(3)	स्वास्थ्य मंत्रालय का एक सदस्य	
(4) से (8)	बोर्ड द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए चुने गए पांच अन्य सदस्य	
(9)	समाज कल्याण विभाग में भारत सरकार के सचिव	सदस्य-सचिव

5. समाज कल्याण विभाग में एक एकक इस बोर्ड का सचिवालय होगा।

6. बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों की कार्यावधि दो वर्ष होगी।

7. बोर्ड की साधारणतया एक वर्ष में एक बैठक होगी तथा स्थायी समिति की एक वर्ष में दो बैठकें होंगी।

8. बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्य नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने के पात्र होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि समिति के सब सदस्यों, भारत सरकार के सब मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्री मंडल सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, प्रधान मंत्री सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को साधारण जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

प्राणनाथ लूथरा,
सचिव

ऊर्जा मंत्रालय
(विद्युत विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 नवम्बर 1974

संकल्प

सं० 8(11)/74-बिजली-तीन—भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के संकल्प संख्या बिजली-तीन-11/17/70, दिनांक 14 जुलाई, 1970, जिसके द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई जम्मू और काश्मीर में सलाल, हिमाचल प्रदेश में बैरा-सियुल तथा मणिपुर में लोकतक जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निदेशन-समिति और केन्द्रीय जल-विद्युत परियोजना नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी, में निम्नलिखित इन्वराज रद्द किया जाता है :—

"4(चार) परियोजना के ठोस और दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन को दृष्टि में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यों की जांच करेगा और जहां आवश्यक होगा वहां उनके लिए विशिष्टियां और दर-अनुसूचियां तैयार करेगा।"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा मणिपुर की राज्य सरकारों, भारत सरकार के मंत्रालयों, प्रधान मंत्री के सचिवालय, मंत्री परिषद् के सचिव, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक तथा महा-लेखा-परीक्षक को भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आनन्द स्वरूप शर्मा
संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 दिसम्बर 1974

परिशिष्ट

सं० 33(14)/74-नीति—केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के कार्य की समीक्षा करने के लिए एक समिति की स्थापना करने से संबंधित इस मंत्रालय के संकल्प सं० 33(14)/74-नीति, दिनांक 21 अक्तूबर, 1974 के पैरा 3 में निम्नलिखित को मद संख्या 7 के रूप में जोड़ दिया जाए और वर्तमान संख्या 7 को मद संख्या 8 कर दिया जाए :—

"7. श्री एच० आर० कुलकर्णी,
सदस्य (तापीय), केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण। सदस्य"

जी० डी० मेहरोत्रा,
अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 18th December 1974

No. 112-Press/74.—The President is pleased to award the President's Police and Services Medal for gallantry to the undermentioned Officer of the Border Security Force :—

Name and rank of the Officer

Shri Lhokhrie Yasey Angami,
Head Constable No. 73990480,
99 Battalion,
Border Security Force.

Statement of Services for which the Decoration has been Awarded

In November, 73 a group of hostiles had stepped up their activities and were particularly active on Dimapur-Kohima road. They frequently ambushed conveys passing through the road. Shri Lhokhrie Yasey Angami, Head Constable was belongs to a newly raised battalion of the Border Security Force who given the task of locating the hostile hideout. With his good knowledge of the local terrain, he was able to do so. A trap was accordingly organised on the night of 10/11th November, 1973. There was a brief exchange of fire at first between the hostiles and the Border Security Force. The hostiles managed to escape taking advantage of the thick undergrowth. They were, however, chased by the Border Security Force men and an encounter ensued, in which one self-styled 'Commander of the Brigade' was killed and another 'Lieutenant' arrested. One Chinese automatic pistol, two grenades and a sizeable quantity of ammunition and equipment were recovered from them.

In the encounter with the hostiles Shri Lhokhrie Yasey Angami displayed conspicuous bravery and devotion to duty.

2. This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5 with effect from the 11th November, 1973.

No. 113—Pres/74.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and rank of the Officer

Shri Mekuno Angami,
Naik No. 73990078,
99 Battalion,
Border Security Force.

Statement of Services for which the Decoration has been Awarded

In November, 73 a group of hostiles had stepped up their activities and were particularly active on Dimapur-Kohima road. They frequently ambushed conveys passing through the road. Shri L. Y. Angami was given the task of locating

the hostile hide-out. With his knowledge of the terrain, he was able to do so. On the night of 10th/11th November, 1973, a trap was organised. Shri Mekuno Angami Naik who belongs to a newly raised Battalion of the Border Security Force in Nagaland led one section of the Border Security Force Platoon. In disregard of the difficult terrain, Shri Angami was able to launch an attack on the hostiles. There was a brief exchange of fire at first between the hostiles and the Border Security Force. The hostiles were, however, able to escape taking advantage of the thick undergrowth. They were chased by the Border Security Force men and in the encounter one self-styled 'Commander of the Brigade' was killed an another 'Lieutenant' arrested. One Chinese automatic pistol, two grenades and a sizeable quantity of ammunition and equipment were recovered from them.

In the encounter with the hostiles Shri Mekuno Angami displayed bravery and devotion to duty of a high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5 with effect from the 11th November, 1973.

No. 114—Pres./74.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the Officer

Shri OM Prakash Misra,
Sub-Inspector of Police,
Civil Police,
District Banda,
Uttar Pradesh.

Statement of Services for which the Decoration has been Awarded

On the 4th March, 1973 information was received by Circle Inspector Ranvir Singh Yadav about the presence of dacoit Sukhraj and Ram Autar in village Dadariya with the intention of committing the murder of village Chaukidar who had ealier furnished intelligence to the Police about this gang. A police party led by Shri Ram Kumar Singh, Deputy Superintendent of Police was sent to apprehend the dacoits. The police party was divided into two groups, one led by Shri Ranvir Singh Yadav, Circle Inspector and the other by Shri Ram Kumar Singh. These parties entered the villages from two opposite directions. When the dacoits came to know of the approaching police parties they took shelter in a cattle-shed but finding themselves trapped, they opened fire which was replied to by the police. Shri Ranvir Singh Yadav along with Shri Om Prakash Misra took positions near the wall of an adjacent house and asked the dacoits to surrender. The dacoits, however, paid no heed to the warning. Shri Ranvir Singh Yadav and Shri Om Prakash Misra then crawled closer and were able to fire at the dacoits from a hole in the cattle-shed. In the firing, dacoit Ram Autar was injured. In desperation the dacoits rushed out and fired at Shri Yadav and Shri Misra. They were, however, able to shoot down both the dacoits. One .400 bore Winchester rifle and one country made .12 bore gun along with one handgrenade and 30 live cartridges were recovered from them.

In the encounter with the dacoits Shri Om Prakash Misra displayed courage, gallantry and determination of a high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 4th March, 1973.

No. 115—Pres./74.—The President is pleased to award the Bar to the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the Officer

Shri Ranvir Singh Yadav,
Circle Inspector of Police,
District Banda,
Uttar Pradesh.

Statement of Services for which the Decoration has been Awarded

On the 4th March, 1973 information was received by Circle Inspector Ranvir Singh Yadav about the presence of dacoit Sukhraj and Ram Autar in village Dadariya with the intention of committing the murder of village Chaukidar who had earlier furnished intelligence to the Police about their gang. A police party led by Shri Kumar Singh, Deputy Superintendent of Police was sent to apprehend the dacoits. The police party was divided into two groups, one led by Shri Ranvir Singh Yadav, Circle Inspector and the other by Shri Ram Kumar Singh. These parties entered the villages from two opposite directions. When the dacoits came to know of the approaching police parties they took shelter in a cattle-shed but finding themselves trapped, they opened fire which was replied to by the police. Shri Ranvir Singh Yadav along with Shri Om Prakash Misra took positions near the wall of an adjacent house and asked the dacoits to surrender. The dacoits, however, paid no heed to the warning. Shri Ranvir Singh Yadav and Shri Om Prakash Misra then crawled closer and were able to fire at the dacoits from a hole in the cattle-shed. In the firing, dacoit Ram Autar was injured. In desperation the dacoits rushed out and fired at Shri Yadav and Shri Misra. These policemen were, however, able to shoot down both the dacoits. One .400 bore Winchester rifle and one country made .12 bore gun along with one handgrenade and 30 live cartridges were recovered from them.

In the encounter with the dacoits Shri Ranvir Singh Yadav displayed courage, gallantry and determination of a high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 4th March, 1973.

No. 116—Pres./74.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Ahmedabad Municipal Corporation Fire Service, Gujarat :—

Name and rank of the Officer

Shri Marutirao Shankerrao Pawar,
Fireman,
Fire Brigade,
Ahmedabad Municipal Corporation,
Gujarat.

Shri Bhimjibai Kacharaji Kotad,
Fireman,
Fire Department,
Ahmedabad Municipal Corporation,
Gujarat.

Statement of Services for which the Decoration has been Awarded

On the 1st September, 1973, when a large number of people were marooned due to high water in Sabarmati river, Pawar, Firemar, saved the lives of many people with the help of an improvised boat.

Similarly many people were also marooned on an Island. Shri Bhimjibhai Kacharaji Kotad, Fireman, with a long rope tied to his shoulder made two attempts to reach the island but had to retreat from half the way due to strong current. Undeterred, he made the third attempt and succeeded in reaching the island. With the help of the rope he was able to rescue 18 persons.

In these rescue operations, Shri Marutirao Shankerrao Pawar, and Shri Bhimjibhai Kacharaji Kotad, Firemen, exhibited courage and devotion to duty of a high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and conse-

quently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 1st September, 1973.

No. 117—Pres./74.—The President is pleased to approve the award of the "SENA MEDAL"/"ARMY MEDAL" to the undermentioned personnel for act of exceptional devotion to duty or courage :—

Name and rank of the Officer

No. 4246620 SEPOY SALUKA BANRA,
BIHAR REGIMENT (*Posthumous*)

Statement of Services for which the Decoration has been Awarded

A Company of the Bihar Regiment was ordered to capture and secure Charbangali, a bridge, and to capture Haluaghat in the Eastern Sector by 5th December, 1971. The Company contacted the enemy defences at Charbangali on the night of 4th/5th December, 1971. The enemy put up a determined fight with intense machine gun and mortar fire. The Company charged the enemy and captured Charbangali after fierce fighting in which the enemy suffered several casualties.

Leaving behind a platoon to secure Charbangali, the Company moved forward to capture Haluaghat. The enemy with more reinforcement again started heavy fire with medium machine guns mounted on four vehicles. The enemy in a platoon strength with a vehicle mounted machine gun attacked Sepoy Saluka Banra's Section which was guarding a flank. Sepoy Saluka Banra, who was manning the light machine gun, despite heavy enemy shelling and small arms fire, took deliberate aim at close range and put the enemy vehicle out of action, whereupon the occupants of the vehicle started debussing. Disregarding the intense machine gun fire and heavy enemy shelling, Sepoy Saluka Banra can forward to a more vantage position and charged the enemy. In the action, he was hit by an enemy machine gun burst and started bleeding profusely. Though serious wounded, he crawled forward, mounted his machine gun and charged the enemy. Eventually, when his ammunition was exhausted he charged the enemy with his machine gun butt and thus saved his Section from being captured by the enemy. Sepoy Saluka Banra succumbed to his injuries on 6th December, 1971.

In this action, Sepoy Saluka Banra displayed remarkable courage and exceptional devotion to duty in the best traditions of the Indian Army.

K. R. GUPTA,
Deputy Secretary to the President

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

COMPANY LAW BOARD

New Delhi-1, the 11th December 1974

ORDER

No. 7/(10)/74-CL.II.—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Company Law Board hereby authorises Shri N. Ranganathaswamy, Assistant Inspecting Officer, Bombay in the Department of Company Affairs, Government of India, for the purposes of the said Section 209.

T. S. SRINIVASAN,
Jt. Dtr. of Inspection, & *Ex-Officio*,
Dy. Secy to the Company Law Board.

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(DEPARTMENT OF IRRIGATION)

New Delhi, the 5th December 1974

RESOLUTION

No. 22/6/72-DW(N).—'Committee of Direction' constituted under Resolution No. DW.III-26(4)/58, dated the 19th December, 1958 is hereby dissolved.

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated for information to the State Governments concerned and to the Ministries of Finance, Home Affairs, Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture) and the Planning Commission.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Governments concerned be requested to publish it in the State Gazettes for general information.

O. P. CHADHA, Jt. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

(DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE)

New Delhi-1, the 3rd December 1974

RESOLUTION

Subject.—Constitution of a National Children's Board.

Introduction

No. F.1-14/74-NCD.—In recognition of the supreme importance of chidren as a national asset, the Government of India have adopted the Resolution No. 1-14/74-CDD, dated August 22, 1974 on the National Policy for Children. This Resolution urges that the programmes for the development of children should be a prominent part of our national plans and that all children should receive equal opportunities for their growth and development. Through such programme of action there will emerge in due course generations of citizens endowed with mental and physical qualities to build and strengthed the country. Para 5 of the said Resolution emphasises the need for a focus and a forum for planning, review and coordination of a multiplicity of services striving to meet the needs of children and stipulates the constitution of a National Children's Board to provide this focus and such a forum.

Constitution.

2. The President is, therefore, pleased to constitute a National Children's Board consisting of the following members :

(1) Prime Minister.	President
(2) Minister of Eduction and Social Welfare	Working Chairman
(3) Minister of Health and Family Planning.	Member
(4) to (10) Seven Social Workers with experience of Child Welfare Services.	Members
(11) to (23) Ten persons nominated by State Governments and three persons by U.T. Administrations, in rotation, from among those who are concerned with Child Welfare Services.	Members
(24) to (26) Two Members of Lok Sabha and one Member of Rajya Sabha to be nominated by the Speaker and the Chairman respectively	Members
(27) Chairman, Central Social Welfare. Board.	Member
(28) Director, Central Institute of Research and Training in Public Cooperation.	Member
(29) Secretary to the Government of India, Department of Social Welfare.	Member Secretary

Functions :

3. The functions of the Board shall be :

(1) to create and sustain public awareness of the needs of children in general;

(2) to coordinate and integrate the efforts made by different governmental and private agencies engaged in implementing programmes for the welfare of children;

(3) to review periodically the progress made in the different programmes;

(4) to locate gaps in the existing services and suggest measures for eliminating such gaps; and

(5) to suggest from time to time any changes needed in the priorities accorded to the different programmes.

The functions of the Board will be advisory and coordinational.

Standing Committee

4. The Board will have a Standing Committee, consisting of the following members:

(1) Minister of Education and Social Welfare. Chairman

(2) Chairman, Central Social Welfare Board.

(3) A representative of the Ministry of Health.

(4) to (8). Five other members elected by the Board for a period of one year.

(9) Secretary to the Government of India in the Department of Social Welfare. Member-Secretary

5. A unit in the Department of Social Welfare will form the Secretary of the Board.

6. The term of office of the non-official members on the Board will be two years.

7. The Board shall ordinarily meet once a year and the Standing Committee twice a year.

8. The non-official members of the Board and the Committee will be eligible for T.A. and D.A. as provided under rules.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the members of the Committee, all the Ministries of the Government of India, the Planning Commission, the Cabinet Secretariat, the Rajya Sabha Secretariat, The Department of Parliamentary Affairs, The Prime Minister's Secretariat, the Lok Sabha Secretariat, the Chief Secretaries of State Governments/Union Territories.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. N. LUTHRA, Secy.

MINISTRY OF ENERGY
(DEPARTMENT OF POWER)

New, Delhi, the 28th November 1974

RESOLUTION

No. 8(11)/74-EL.III.—In the erstwhile Ministry of Irrigation and Power Resolution No. EL.III-11(17)/70, dated the 14th July, 1970, setting up the Committee of Direction and the Central Hydro Electric Projects Control Board, for the implementation of the Hydro-Electric Projects taken up by the Government of India at Salal in Jammu & Kashmir, Baira Siul in Himachal Pradesh and Loktak in Manipur, the following entry is deleted:

"4(iv) Examine and where necessary lay down specifications and schedule of rates for various classes of work with a view to sound and efficient execution of the Project."

ORDER

ORDERED that the above Resolutions be communicated to the Government of the States of Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Manipur, the Ministries of the Government of India, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretary, Secretary to the President, Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

A. S. SHARMA, Jt. Secy.

New Delhi, the 4th December 1974

ADDENDUM

No. 33(14)/74-Policy.—In paragraph 3 to this Ministry's Resolution No. 33(14)74-Policy, dated the 21st October, 1974, setting up of a Committee to review the working of the Central Power Research Institute, the following may be added as item 7 and the existing item 7 may be renumbered as item 8:—

"7. Shri H. R. Kulkarni,
Member (Thermal)
Central Electricity Authority—Member".

J. D. MEHTANI, Under Secy.

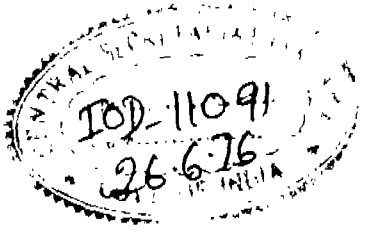

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974